विधान परिषद के द्वितीय सत्र 2022 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित डा0 मान सिंह यादव, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-1 का उत्तर।

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| (क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि परिवहन विभाग में शासनादेश की व्यवस्थाओं में शिथिलीकरण कराकर मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति प्रदान करने पर विचार करते हुये पूर्व में किस-किस तिथि में नियुक्तियां की गई हैं ? | शासनादेश संख्या- 5वीआईपी/44-2-2003-2 (च0स0) /88 दिनांक 11.07.2003 द्वारा प्रदेश के ऐसे सार्वजनिक उपक्रम/निगम जो लाभप्रद की स्थिति में नहीं हैं अर्थात जिनमें संचित हानि है अथवा जिनमें सरप्लस कर्मचारी हैं, उन सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में उनके सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने की दशा में उनके आश्रितों को सेवायोजन में लिए जाने की सुविधा समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।<br>उक्त शासनादेश की व्यवस्थाओं में शिथिलीकरण कराकर मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति प्रदान करने पर विचार करते हुए पूर्व में वर्ष 2005, 2008, 2016 एवं 2018 में नियुक्तियां की गई हैं। |
| (ख) क्या लाल बिहारी यादव, नेता विरोधी दल, विधान परिषद द्वारा दिनांक 25 जून, 2022 मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र/कार्यालय सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन विभाग आजमगढ़ डिपो के पत्रांक 900/ आजम/स0क्षे0प0/स्था0 2021, दिनांक 16 जुलाई, 2021 के माध्यम से कोरोना काल में मृत कार्मिकों के परिजनों को नियुक्ति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है ? | जी हाँ । |
| (ग) यदि हाँ, तो क्या उक्त पत्र में इंगित व्यक्तियों को शासनादेश की व्यवस्थाओं में शिथिलीकरण कराकर नियुक्ति प्रदान करा दी गयी है ? | जी नहीं। |
| (घ) यदि नहीं, तो कब तक पूर्व की भाँति शासनादेश में शिथिलीकरण कर कोरोना काल में मृत कार्मिकों के परिजनों को मानवीय आधार पर मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत नियुक्ति प्रदान करा दी जायेगी ? | कार्मिक अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या- 9/ 2002/ 6/ 12/ 73/ 47- का/ 2/ 2022 दिनांक 01.08.2022 में व्यवस्था की गयी है कि मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति प्रदान करने से पूर्व आवेदक से इस आशय का शपथपत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय कि आवेदक के माता अथवा पिता (जैसी भी स्थिति हो) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित नहीं है।<br>उक्त व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु पत्र दिनांक 18-08-2022 द्वारा परिवहन निगम को निर्देश दिये गये हैं। संशोधित प्रस्ताव प्राप्त होने पर तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जा सकेगी। |

दयाशंकर सिंह
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
परिवहन विभाग।